रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2011/भाद्र 30, 1933

No. 521] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2011/BHADRA 30, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 705(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में खंड (ख) के पश्चात् **नियम 3.12 के, उप-नियम (1) में** निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

" (ख क) विशेष अनुदेशों के अधीन मध्य-खंड में किसी एक स्वचल रोक सिगनल को परिवर्तित करके एक आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल; जब 'ए' चिह्न प्रज्वलित हो जाता है तो सिगनल स्वचल रोक सिगनल के रूप में कार्य करता है, और जब 'ए' चिह्न बुझ जाता है तो यह आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के रूप में कार्य करता है और यह स्वतः 'ऑफ' स्थिति में आ जाता है अथवा आवश्यक होने पर इसे हाथ द्वारा 'ऑफ' किया जा सकता है; और"।

उक्त नियमों में, **उप-नियम (2)** के पश्चात् **नियम 9.01 में** निम्नलिखित उप नियमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) (क) विशेष अनुदेशों के अधीन, प्रत्येक दिशा में स्वचल ब्लॉक सिगनल क्षेत्र में दो स्टेशनों के बीच किसी एक स्वचल रोक सिगनल को आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है;

(ख) इस प्रकार मुहैया कराए गए मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटरों अथवा दोनों के माध्यम से आगे वाले स्टेशन के सिगनलों के साथ इंटरलॉक किया जाएगा और उसे आगे वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, संबंधित संकेत दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध होंगे चाहे सिगनल सामान्य स्वचल माध्यम में हो या आशोधित अर्ध-स्वचल माध्यम में हो,

(ग) पिछले स्टेशन के एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल को मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के साथ इस प्रकार इंटरलॉक किया जाएगा कि जब 'ए' चिह्न बुझा हो तो एडवांस्ड स्टार्टर स्वयं 'ऑफ' होगा या 'ऑफ' किया जाएगा जब लाइन मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो; इसी प्रकार, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल स्वत: 'ऑफ' होगा अथवा 'ऑफ' किया जाएगा जब लाइन आगे वाले स्टेशन के होम सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो।

(घ) धुंध, खराब मौसम में जब स्पष्ट दिखाई न देता हो, जैसी असामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को विशेष अनुदेशों के तहत निर्धारित विधि में 'ए' चिह्न को बुझाया जा सकता है और इस कार्रवाई से यह भी सुनिश्चित होगा कि पिछले स्टेशन का एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल और अगले स्टेशन का होम सिगनल का 'ए' चिह्न भी बुझ जाएगा;

(ङ) खंड (ग) के अधीन उल्लिखित पर्याप्त दूरी उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित दूरी से कम नहीं होगी।

(च) सामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल एक सामान्य स्वचल रोक सिगनल के रूप में कार्य करेगा।

(4) (क) जब लोको पायलट यह देखता है कि मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल 'ऑन' अवस्था में है तथा 'ए' चिह्न बुझा हुआ है तो वह गाड़ी को सिगनल के पहले ही रोक देगा और इसके बारे में विशेष अनुदेशों के अधीन अनुमोदित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा;

(ख) अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर, विशेष अनुदेशों के अधीन विधि और निर्धारित कार्यपद्धति को सुनिश्चित करने के पश्चात् अनुमोदित संचार साधनों से बुझे हुए 'ए' चिह्न के साथ 'ऑन' अवस्था में मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से गुजरने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत कर सकता है;

(ग) यदि लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने में असमर्थ है तो वह सिगनल पर पांच मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सिगनल को 'ऑन' में पास करेगा और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेगा तथा किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा तथा अगले सिगनल तक दस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही चलेगा तथा उस सिगनल के संकेत के अनुसार कार्रवाई करेगा; और

(घ) लोको पायलट, अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल की खराबी की रिपोर्ट देगा।"

उक्त नियमों में, **उप-नियम (2)** के पश्चात्, **नियम 9.03 में,** निम्नलिखित उप-नियमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) (क) विशेष अनुदेशों के अधीन, प्रत्येक दिशा में स्वचल ब्लॉक सिगनल क्षेत्र में दो स्टेशनों के बीच किसी एक स्वचल रोक सिगनल को आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है;

(ख) इस प्रकार मुहैया कराए गए मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटरों अथवा दोनों के माध्यम से आगे वाले स्टेशन के सिगनलों के साथ इंटरलॉक किया जाएगा और उसे आगे वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, संबंधित संकेत दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध होंगे चाहे सिगनल सामान्य स्वचल माध्यम या आशोधित अर्ध-स्वचल माध्यम में हो,

(ग) पिछले स्टेशन के एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल को मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के साथ इस प्रकार इंटरलॉक किया जाएगा कि जब 'ए' चिह्न बुझा हो तो एडवांस्ड स्टार्टर स्वयं 'ऑफ' होगा या 'ऑफ' किया जाएगा जब लाइन मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो; इसी प्रकार, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल स्वतः 'ऑफ' होगा अथवा 'ऑफ' किया जाएगा जब लाइन आगे वाले स्टेशन के होम सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो।

(घ) धुंध, खराब मौसम में जब स्पष्ट दिखाई न देता हो, जैसी असामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को विशेष अनुदेशों के तहत निर्धारित विधि में 'ए' चिह्न को बुझाया जा सकता है और इस कार्रवाई से यह भी सुनिश्चित होगा कि पिछले स्टेशन का एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल और अगले स्टेशन का होम सिगनल का 'ए' चिह्न भी बुझ जाएगा।

(ङ) खंड (ग) के अधीन उल्लिखित पर्याप्त दूरी उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित दूरी से कम नहीं होगी।

(च) सामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल एक सामान्य स्वचल रोक सिगनल के रूप में कार्य करेगा।

(4) (क) जब लोको पायलट यह देखता है कि मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल 'ऑन' अवस्था में है तथा 'ए' चिह्न बुझा हुआ है तो वह गाड़ी को सिगनल के पहले ही रोक देगा

और इसके बारे में निर्धारित विशेष अनुदेशों के अधीन अनुमोदित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।

(ख) अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर, विशेष अनुदेशों के अधीन विधि और निर्धारित कार्यपद्धति को सुनिश्चित करने के पश्चात् अनुमोदित संचार साधनों से बुझे हुए 'ए' चिह्न के साथ 'ऑन' अवस्था में मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से गुजरने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत कर सकता है।

(ग) यदि लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने में असमर्थ है तो वह सिगनल पर पांच मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सिगनल को 'ऑन' में पास करेगा और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेगा तथा किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा तथा अगले सिगनल तक दस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही चलेगा तथा उस सिगनल के संकेत के अनुसार कार्रवाई करेगा; और

(घ) लोको पायलट, अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल की खराबी की रिपोर्ट देगा।"

[सं. 2010/संरक्षा (ए एंड आर)/19/20]

विनय मित्तल, सदस्य यातायात के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा पदेन सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 445(अ), तारीख 21 जुलाई, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यांक द्वारा संशोधित किए गए :—

(1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983,
(2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,
(3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,
(4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,
(5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,
(6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,
(7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998,
(8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,
(9) सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,
(10) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999,
(11) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000,
(12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000,
(13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000,
(14) सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवंबर, 2000,
(15) सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000,
(16) सा.का.नि. 394(अ), तारीख 31 मई, 2002,
(17) सा.का.नि. 842(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2002,
(18) सा.का.नि. 221(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006,
(19) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006,
(20) सा.का.नि. 477(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006,
(21) सा.का.नि. 311(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2007,
(22) सा.का.नि. 694(अ), तारीख 7 नवंबर, 2007,
(23) सा.का.नि. 116(अ), तारीख 29 फरवरी, 2008,
(24) सा.का.नि. 847(अ), तारीख 10 दिसंबर, 2008,
(25) सा.का.नि. 848(अ), तारीख 27 नवंबर, 2009 और
(26) सा.का.नि. 900(अ), तारीख 10 नवंबर, 2010

IndiaCode

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2011

G.S.R. 705(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said rules), **in rule 3.12, in sub-rule (1)**, after clause (b) the following clause shall be inserted, namely:-

"(ba) a Modified Semi-Automatic Stop signal by converting one of the Automatic stop signal in mid-section under special instructions; when the 'A' marker is illuminated the signal works as Automatic stop signal, and when the 'A' marker is extinguished it works as modified Semi-Automatic stop signal and assumes 'off' aspect automatically or is taken 'off' manually as required; and".

In the said rules, **in rule 9.01**, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(3)(a)under special instructions, one of the automatic stop signal between two stations in the automatic block signaling territory in each direction may be made as modified semi-automatic stop signal;

(b) the mid-section modified semi-automatic stop signal so provided shall be interlocked with the signals of the station ahead through track circuits or axle counters or both and shall be controlled by the Station Master of

the station ahead, the relevant indications whether the signal is in normal automatic mode or modified semi-automatic mode shall be available to the Station Masters at both the ends;

(c) Advanced starter signal of the station in rear shall be interlocked with the mid-section modified semi-automatic stop signal in such a way that when working with 'A' sign extinguished, the Advanced starter shall assume 'off' aspect or be taken 'off' only when the line is clear upto an adequate distance beyond the mid-section modified semi-automatic stop signal; similarly the mid-section modified semi-automatic stop signal shall assume 'off' aspect automatically or be taken 'off' only when the line is clear upto an adequate distance beyond the Home signal of the station ahead;

(d) during abnormal conditions like fog, bad weather impairing visibility, the mid-section modified semi-automatic stop signal may be worked by extinguishing 'A' marker in the manner prescribed under special instructions and this action shall also ensure that the 'A' marker of the Advanced starter signal of the station in rear and Home signal of the station in advance shall also be extinguished;

(e) the adequate distance mentioned under clause (c) shall not be less than as prescribed under sub-rule (2);

(f) during normal conditions, mid-section modified semi-automatic stop signal shall work as normal automatic stop signal.

(4)(a) when the Loco Pilot finds mid-section modified semi-automatic stop signal with 'A' marker extinguished in 'on' position, he shall stop his train in the rear of the signal and inform this fact to the Station Master of the station ahead on approved means of communication as prescribed under special instructions;

(b) the Station Master of the station ahead may authorise the Loco Pilot to pass the mid-section modified semi-automatic stop signal working with 'A' marker extinguished in 'on' position through approved means of communication after ensuring conditions and procedure prescribed under special instructions;

(c) in case the Loco Pilot is unable to contact the Station Master of station ahead, he shall pass the signal at 'on' after waiting for five minutes at the signal and proceed cautiously and be prepared to stop short of any obstruction, at a speed not exceeding ten kilometres an hour upto the next Signal and act as per aspect of this signal; and

(d) the Loco Pilot shall report the failure of mid-section modified semi-automatic stop signal to the Station Master of the station ahead.".

In the said rules, **in rule 9.03, after sub-rule (2),** the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(3)(a) under special instructions, one of the automatic stop signal between two stations in the automatic block signaling territory in each direction may be made as modified semi-automatic stop signal;

(b) the mid-section modified semi-automatic stop signal so provided shall be interlocked with the signals of the station ahead through track circuits or axle counters or both and shall be controlled by the Station Master of the station ahead, the relevant indications whether the signal is in normal automatic mode or modified semi-automatic mode shall be available to the Station Masters at both the ends;

(c) Advanced starter signal of the station in rear shall be interlocked with the mid-section modified semi-automatic stop signal in such a way that when working with 'A' sign extinguished, the Advanced starter shall assume 'off' aspect or be taken 'off' only when the line is clear upto an adequate distance beyond the mid-section modified semi-automatic stop signal; similarly the mid-section modified semi-automatic stop signal shall assume 'off' aspect automatically or be taken 'off' only when the line is clear upto an adequate distance beyond the Home signal of the station ahead;

(d) during abnormal conditions like fog, bad weather impairing visibility, the mid-section modified semi-automatic stop signal may be worked by extinguishing 'A' marker in the manner prescribed under special instructions and this action shall also ensure that the 'A' marker of the Advanced starter signal of the station in rear and Home signal of the station in advance shall also be extinguished;

IndiaCode

(e) the adequate distance mentioned under clause (c) shall not be less than as prescribed under sub-rule (2);

(f) during normal conditions, mid-section modified semi-automatic stop signal shall work as normal automatic stop signal.

(4)(a) when the Loco Pilot finds mid-section modified semi-automatic stop signal with 'A' marker extinguished in 'on' position, he shall stop his train in the rear of the signal and inform this fact to the Station Master of the station ahead on approved means of communication as prescribed under special instructions;

(b) the Station Master of the station ahead may authorize the Loco Pilot to pass the mid-section modified semi-automatic stop signal working with 'A' marker extinguished in 'on' position through approved means of communication after ensuring conditions and procedure prescribed under special instructions;

(c) in case the Loco Pilot is unable to contact the Station Master of station ahead, he shall pass the signal at 'on' after waiting for five minutes at the signal and proceed cautiously and be prepared to stop short of any obstruction, at a speed not exceeding ten kilometres an hour upto the next Signal and act as per aspect of this signal; and

(d) the Loco Pilot shall report the failure of mid-section modified semi-automatic stop signal to the Station Master of the station ahead.".

[No. 2010/Safety (A&R)/19/20]

VINAY MITTAL, Chairman, Railway Board as Member Traffic, and Ex-Officio Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended vide number :—

(1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,
(2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,
(3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,
(4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,
(5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,
(6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,

(7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,
(8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,
(9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999,
(10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,
(11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000,
(12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,
(13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000,
(14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000,
(15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000,
(16) G.S.R. 394(E), dated the 31st May, 2002,
(17) G.S.R. 842(E), dated the 27th December, 2002,
(18) G.S.R. 221(E), dated the 19th April, 2006,
(19) G.S.R. 476(E), dated the 11th August, 2006,
(20) G.S.R. 477(E), dated the 11th August, 2006,
(21) G.S.R. 311(E), dated the 26th April, 2007,
(22) G.S.R. 694(E), dated the 7th November, 2007,
(23) G.S.R. 116(E), dated the 29th February, 2008,
(24) G.S.R. 847(E), dated the 10th December, 2008,
(25) G.S.R. 848(E), dated the 27th November, 2009 and
(26) G.S.R. 900(E), dated the 10th November, 2010

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode